निर्णय ब इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 139/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्रताप सिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड।

......अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़।

......प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय — दिनांक 15.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा (अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़) को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/394 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18.07.2025 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यालय हाजा की आरटीआई शाखा को प्राप्त नहीं हुआ। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली से नोटिस प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/392 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा जिला रसद अधिकारी को प्राप्त नोटिस भिजवा दिया गया है। प्रकरण में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण अपील को ड्रॉप करने की कृपा करें।
5. अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ से संबंधित है। प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं हुआ। अपील के संबंध में न्यायालय हाजा का नोटिस प्रत्यर्थी को प्राप्त होने पर प्राप्त नोटिस जिला रसद अधिकारी को भिजवा दिये जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा लोकहित में जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र में वांछित सूचना अपीलार्थी को अविलम्ब निःशुल्क पंजिकृत पत्र से उपलब्ध कराई जावे, सबंधित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़ को भी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर),
कोटपूतली बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़